एफ०आई०पी०बी० द्वारा केवल तब ही विचार किया जाता है जब इनका समर्थन लक्ष्य कंपनी के बोर्ड के संकल्प द्वारा किया गया हो। इस प्रकार वर्तमान नीति और प्रक्रियाओं में लक्ष्य भारतीय कंपनी की सहमति के बिना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से शेयरों के अधिग्रहण/अंतरण की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, अधिग्रहण संबंधी सभी अतिरिक्त, अधिग्रहण संबंधी सभी अनुमोदन सेबी (शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण व अधीनीकरण) विनियम, 1997 और शेयरों के अंतरण/मूल्यनिर्धारण के संबंध में यथा लागू सेबी/आर०बी०आई० दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के भी अधीन है।

Industrialisation in H.P.

673. SHRI ANIL SHARMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to answer to Unstarred Question 827 given in the Rajya Sabha on the 7th December, 1998 and state:

(a) the details of Central Transport Subsidy Scheme and all eligible units and the dates on which they have been extended in each case;

(b) whether the income tax holiday have since been set up for such industries, the details thereof, name-wise;

(c) the details of initiatives for promotion of small scale industries in Himachal Pradesh; and

(d) the details of two integrated infrastructure development centres sanctioned in Himachal Pradesh along with the dates of their functioning?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) The Transport Subsidy Scheme was introduced in July, 1971 with a view to promoting industrialisation of the notified hilly, remote and inaccessible areas which covers the entire North-Eastern Region, besides Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, 8 hill districts of Uttar Pradesh, Sikkim, Darjeeling district of West Bengal, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep. The Scheme is applicable to all industrial units barring plantations, refineries and power generating units both in the public and the private sectors

Under the Scheme, subsidy ranging between 50% to 90% is admissible on transportation cost incurred on movement of raw material and finished goods from the designated rail-head/ports upto the location of the industrial units and vice-versa. The subsidy claims are first scrutinised by the State Level Committee and disbursement made to eligible units by the State Governments. Reimbursement thereof is claimed subsequently by the State Government from the Central Government. The details of units benefitted by the Scheme are maintained by the State Government. The Scheme has been extended from time to time and is valid upto 31.3.2000. However, the Scheme has been extended upto 31.3.2007 for the States in North-Eastern Region.

(b) Income-tax holiday for a period of five years is available to all the industries which are to be set up in the State of Himachal Pradesh upto 31.3.2000.

(c) The Central Government is impelementing various plan schemes for development of small industries in the State of Himachal Pradesh namely, Prime Minister's Rozgar Yojana, Entrepreneurial Development Programme, Management Training Programme, Export Promotion, Ancillarisation, Sub-Contracting Exchanges, and Integrated Infrastructural Development Scheme. Small Industries Service Institute at Solan also provides consultancy/technical advice, common-service facilities and management entrepreneurial training for development of small industries in the State of Himachal Pradesh.

(d) Integrated Infrastructure Development (IID) Scheme aim at setting up of small scale units on cluster basis in rural and backward areas and promoting stronger linkage between agriculture and Industry. The details of the two Integrated Infrastructure Development Cen-

tres in Himachal Pradesh are as under:—

Location	Date of Sanction	Project Cost
Vill. Bhamla, Distt. Mandi.	11.12.1995	490.00
Vill. Gwalthai, Distt. Bilaspur	6.5.1997	432.00

The development work in respect of the IID Centre in Distt. Mandi is in progress and in respect of the Centre at Bilaspur, the land is being acquired.

उद्योगों की विकास दर

674. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल-दिसम्बर, 1998 के दौरान उद्योगों तथा निर्यात की विकास दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा विकास दर को पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष में संगठित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी तुलनात्मक कमी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) चालू वर्ष में अप्रैल-दिसंबर, 1998 के दौरान औद्योगिक विकास दर 3.5% रही है, जबकि अप्रैल-दिसंबर, 1997 में यह 6.7% थी। अप्रैल-दिसंबर, 1998 की अवधि में निर्यात विकास दर में (-) 2.88% की भारी गिरावट आई है। औद्योगिक विकास में आई इस गिरावट के कारक विश्व बाजार में सर्वत्र छाई मंदी के कारण निर्यात में कमी, कच्चा तेल, इस्पात, कोयला, सीमेंट, वाणिज्यिक वाहन, वस्त्र आदि की मांग में शिथिलता है। निर्यात में बढ़ने गिरावट हेतु कारक पूर्वी ऐशियाई देशों की मुद्रा का अत्यधिक अवमूल्यन से भारतीय निर्यातों के लिए प्रतियोगी हितों में कमी होना है।

(ग) से (ङ) औद्योगिक विकास में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. निर्यात में विकास की पुनरूज्जीवित करने हेतु विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।

2. यूएलसीआरए को रद्द करना तथा गृह-स्वामित्व से संबंधित सुविधाएं देना।

3. निवेश को बढ़ावा देने तथा पूंजी बाजार के पुनरूज्जीवित करने के लिए सरकार ने हाल ही में शेयरों की पुनः खरीद तथा अंतःनिर्गम ऋण की अनुमति दी है।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए व्यस्ततम मौसम ऋण नीति के ब्याज दरों में वृद्धि करने से बचने के प्रयास किये है।

5. नई प्रौद्योगिकी को आरंभ करने, दक्षता सुधारने तथा गैर-महत्व के व्यवसायों से दूर रहने के लिए निजी क्षेत्र की पुनः संरचना की गई है। वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 की दूसरी तथा तीसरी तिमाही के लिए अधिकांश निगमों के वित्तीय परिणाम लागत में कमी दर्शाते हैं। पुनः संरचना के पश्चात, उनके द्वारा निवेश बढ़ाये जाने की संभावना है।

औद्योगिक क्षेत्र को पुनरूज्जीवित करने की आवश्यकता के प्रति सरकार जागरूक है और इसने गंभीर रूप से प्रभावित 4 क्षेत्रों नामतः इस्पात, पूंजीगत वस्तएं, वाणिज्यिक वाहनों तथा सीमेंट के लिए सुधारात्मक सिफारिशों की संस्तुति करते हुए 4 कार्यदलों का गठन किया है। कार्यदल की सिफारिशों की वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। इस्पात से संबंधित कतिपय उपायों की घोषणा कर दी गई है तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत घोषणा शीघ्र ही किये जाने की संभावना है।

1998-99 के रोजगार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, सीएसओ के संकल घरेलू उत्पाद संबंधित अग्रिम अनुमानों से 1998-99 में जीडीपी में 5.8% की वृद्धि होने की आशा है, जिससे रोजगार में समग्र रूप से वृद्धि हो जाएगी।